सं. अ-27012/1/2014-स्था. (भत्ता)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

ब्लॉक-IV, पुराना जेएनयू कैम्पस

नई दिल्ली, दिनांक : 28 अप्रैल, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मंहगाई भत्ते में वृद्धि के परिणामस्वरूप 01.01.2014 से कुछ भत्तों में 25% और वृद्धि किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

.....

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 02.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/03/2008-स्था. (भत्ता) के पैरा 1(त्र) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। इसमें यह प्रावधान है कि संशोधित वेतन ढांचे में मंहगाई भत्ते के 50% तक वृद्धि होने पर हर बार बाल शिक्षा भत्ता स्वत: 25% बढ़ जाएगा। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 27 मार्च, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 01/01/2014 - ई - II (ख) के तहत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते में 01 जनवरी, 2014 से 100% की दर से वृद्धि किए जाने की घोषणा के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों से बाल शिक्षा भत्ते की देय राशि के संबंध में संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।

2. उपर्युक्त के अनुसार संशोधित सीमाएं निम्नानुसार होंगी :

क) बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की वार्षिक अधिकतम सीमा 18000/-रु. प्रति संतान होगी। तदनुसार तिमाही दावा एक तिमाही में 4500/- रु. से अधिक हो सकता है। छात्रावास अनुदान 4500/- रु. प्रति महीने प्रति संतान होगा;

ख) नि:शक्त महिलाओं के लिए बालचर्या हेतु विशेष भत्ते की दरों को संशोधित कर 1500/-रु. प्रति महीना कर दिया गया है;

ग) सरकारी कर्मचारियों के नि:शक्त बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति हेतु वार्षिक संशोधित सीमा को 36000/-रु. प्रति वर्ष प्रति संतान माना जाएगा और सरकारी कर्मचारियों के नि:शक्त बच्चों के लिए छात्रावास अनुदान की संशोधित दरें 9000/-रु. प्रति वर्ष प्रति संतान मानी जाएंगी।

3. ये संशोधन 01 जनवरी, 2014 से लागू होंगे।

जारी....2/-

4. ये संशोधन इस विभाग के दिनांक 02.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/03/2008-स्था. (भत्ता), दिनांक 11.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/04/2008 और दिनांक 21.02.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/07(i)/2011-स्था. (भत्ता) में उल्लिखित उपबंध और शर्तों के अधीन होंगे।

(मुकुल रात्रा)
निदेशक
दूरभाष : 26164314

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय/ महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
3. संघ लोक सेवा आयोग/भारत के उच्चतम न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/ उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग के सचिव ।
4. भारत के सभी राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र।
5. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल।
6. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली।
7. जेसीएम के राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
8. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
9. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (ई-।। (ख) शाखा)
10. राजभाषा खंड (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली।
11. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली